राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसीपी/2019/ 434 दिनांकः 26-6-19

समस्त संयुक्त निदेशक जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः–मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु कार्ययोजना (माइकोप्लान) के अनुसार कार्यवाही करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियत्रण हेतु बनाये गये कार्ययोजना अनुसार निम्न प्रकार से मुख्य मुख्य गतिविधिया संपादित की जानी है।

संयुक्त निदेशक स्तर से

- मेडिकल कॉलेज से समन्वय स्थापित कर चिकित्सको व पेरा मेडिकज स्टाफ को वेन्टीलेटर का प्रशिक्षण करवाना
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारीयो के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील करना
- संभाग स्तर से चिकित्सको को वीसी के माध्यम से आमुखीकरण
- प्रत्येक संस्थान पर पल्स आक्सीमीटर व क्लोरोस्कोप उपलब्ध करवाना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से

- प्रत्येक संस्थान का माईको प्लान तैयार सुनिश्चित करवाना
- प्रत्येक संस्थान पर पल्स आक्सीमीटर व क्लोरोस्कोप उपलब्ध करवाना
- प्रत्येक संस्थान पर मौसमी बिमारियो की रोकथाम व बचाव हेतु दवाईया व लाजिस्टीक उपलब्धता करवाना
- जिला, खण्ड व प्रा.स्वा.के. पर आरआरटी टीम का गठन
- प्रचार–प्रसार कार्ययोजना
- फौगिग मशीन व हैचरी की कियाशलता
- चिकित्सको का आमुखीकरण
- जिला स्तर से चिकित्सको व एनएनएम को वीसी के माध्यम से आमुखीकरण
- हाई रिस्क क्षेत्रो की पहचान कर एन्टीलार्वल गतिविधिया संपादित करवाना
- हाई रिस्क ग्रपु के सदस्यो को, गर्भवती महिलाओ व बच्चो को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, टीकाकरण दिवस पर मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करना
- जिला कन्टोल रूम की स्थापना
- अन्तर विभागीय समन्वय

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दारा उक्त गतिविधियो के साथ साथ निम्न गतिविधिया

- हाई रिस्क क्षेत्रो (HI >5 या BI > 10)के आधार पर या पिछले वर्ष के केसो के आधार पर पहचान कर गतिविधिया संपादित करवाना
- रिर्पोटिग
- दवाईया व लाजिस्टीक का मांग पत्र
- प्रशिक्षण दलो का गठन व आमुखीकरण
- आईडीएसपी सैल का सुदृढ़ीकरण
- सर्वे दल का गठन
- स्कूल कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय, निर्माणाधीन क्षेत्र इत्यादि की सूचना का संकलन
- नर्सिंग कॉलेजों की सूचना का संकलन
- आउट रीच कैम्प व एमएमवी कैम्प यूनिट की कार्य योजना
- स्थानीय स्वयं सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड व अन्य की उपलब्धता

आईडीएसपी सैल

- साप्ताहिक सुचनाओ का समय पर संग्रहण, विश्लेषण व प्रेषण
- एन्टोमोलोजिकल सर्वे
- समय पूर्व आउट ब्रेक की पहचान कर आवयश्क गतिविधिया संपादित करवाना।
- आरआरटी टीम का आमुखिकरण
- डेटा वेलिडेशन
- प्रतिदिन मौसमी बिमारियो के लिये किये गये सर्वे की रिर्पोट को प्रपत्र 7 व 7A मे निदेशालय को भिजवाना
- मिडीया स्केनिग
- पॉजिटिव कैसो के लिये एक्वीटी करवाना सुनिश्चित करना
- निदेशालय से विडियो कान्फ्रेस करने के लिये आवश्यक संसाधन की उपलब्धता

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दारा

- स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, क्षय रोग विशेषज्ञ, नोडल अधिकारी एनसीडी के साथ बैठक कर हाई रिस्क ग्रुप के उपचार हेतु संवेदनशील करना।
- संस्थान पर आने वाले गर्भवती महिलायें/धात्री महिलाऐं, शिशु, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, किडनी फेलियर, टीबी, कैंसर, अस्थमा के रोगियों को मौसमी बिमारियो से सम्बन्धित विशेषतौर पर स्वाईन फ्लू के लिये संवेदनशील करना।
- संस्थान पर आईईसी गतिविधियो हेतु एलईडी (टीवी) के माध्यम से करवाना
- प्रतिदिन लार्वा प्रदशर्न व प्रश्नोतरी के माध्यम से लोगो को जागरूक करना
- संस्थान पर आईईसी कार्नर के माध्यम से जागरूक करना
- गर्भवती महिलाओ व बच्चो को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, टीकाकरण दिवस पर मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करना
- चिकित्सको व पेरा मेडिकज स्टाफ को वेन्टीलेटर का प्रशिक्षण करवाना
- सीरो सर्विलैंस करवाना
- ब्लड बैक मे रक्त की उपलब्धता
- संस्थान पर पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता
- मौसमी बिमारियो के लिये बैड आरक्षित करना
- स्वाईन फ्लू से बचान हेतु सम्बन्धित चिकित्सक / नर्सिग को वैक्सीन लगाना

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर दारा उक्त गतिविधियो के साथ साथ निम्न गतिविधिया

- अपने क्षेत्र के समस्त संस्थानो का माईक्रो प्लान तैयार करवाना (प्रपत्र 1 से 1 F)
- संस्थ वार संकजित रिर्पोट तैयार कर उसके अनुसार की गयी कार्यवाही को कास वेरिफाई करना
- संकलित रिर्पोट खण्ड से जिला स्तर को भिजवाना (प्रपत्र 6 व 6A)
- संस्था वार मलेरिया स्लाईड की लाईन लिस्ट बनवाना सुनिश्चित करना
- पॉजिटिव कैसो के लिये की गयी एक्वीटी को कॉस वेरिफाई करवाना
- अन्तर विभागीय समन्वय
- चिकित्सक/एएनएम व आशाओ का प्रशिक्षण
- फौगिग मशीन व हैचरी की कियाशलता
- प्रत्येक संस्थान पर पल्स आक्सीमीटर व क्लोरोस्कोप उपलब्ध करवाना
- उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक क्लोरोक्वीन, प्राईमाक्वीन, एसीटी की उपलब्धता

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रा.स्वा.के/सा.स्वा.के./ सिटी डिस्पेन्सरी/शहरी प्रा.स्वा.के. दारा

- अपने संस्थान का माईक्रो प्लान तैयार करना (प्रपत्र 1 से 1 F)
- सर्वे करवाना (प्रपत्र 2A व 2B)
- सुपरवाईजर दारा कास वेरिफिकेशन व रिर्पोट (प्रपत्र 3A से 3D)
- प्रा.स्वा.के वार संकजित रिर्पोट तैयार कर उसके अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करना (प्रपत्र 4A से 4D)
- सर्वे के आधार पर House Index व Bruetu Index क्रमश 5 व 10 से अधिक होने पर तुरंत प्रभाव से उन क्षेत्रो मे एन्टीलार्वल गतिविधिया करवाना सुनिश्चित करना

House Index = Total house positive (Larva positive)/ Total house visit * 100
Bruetu Index = Total Container positive (Larva positive)/ Total house visit * 100

- संकलित रिर्पोट खण्ड को भिजवाना (प्रपत्र 5 व 5A)
- बुखार के रोगियो की ब्लड स्लाईड बनवाना व 24 घंटे मे जांच सुनिश्चित करवाना व ब्लड स्लाईड की लाईन लिस्ट बनाना
- फौगिग मशीन व हैचरी की कियाशलता
- संस्थान पर पल्स आक्सीमीटर व क्लोरोस्कोप उपलब्ध करना
- पॉजिटिव कैसो के लिये एक्वीटी करवाना सुनिश्चित करना
- अन्तर विभागीय समन्वय
- उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक क्लोरोक्वीन, प्राईमाक्वीन, एसीटी की उपलब्धता
- गर्भवती महिलाओ व बच्चो को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, टीकाकरण दिवस पर मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करना
- आशा व एएनएम के माध्यम हाई रिस्क ग्रुप को मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करवाना
- स्वाईन फ्लू से बचान हेतु सम्बन्धित चिकित्सक / नर्सिग को वैक्सीन लगाना
- मौसमी बिमारियो के लिये बैड आरक्षित करना

उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

- सर्वे करना प्रपत्र 2A व 2B का उपयोग करते हुये
- सर्वे की रिर्पोट प्रा.स्वा.के स्तर पर भिजवाना
- बुखार के रोगियो की स्लाईड बनाना व 24 घंटे मे माईक्रस्कोपी सेन्टर भिजवाना
- हाई रिस्क ग्रुप को मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करना
- गर्भवती महिलाओ व बच्चो को प्रसुति नियोजन दिवस, टीकाकरण दिवस पर मौसमी बिमारियो के बारे मे संवेदनशील करना

अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान/खण्ड/जिला स्तर पर मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु निर्धारित प्रपत्र में माइक्रोप्लान तैयार कर घर–घर सर्वे, एन्टीलार्वल, एन्टीएडल्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, आईईसी गतिविधियॉ, नियमित रिर्पोटिंग करना व अन्य आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों में बरती गई लापरवाही के लिये आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

–Sd–
निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसीपी/2019/ 434
दिनांकः २८/८/१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (मलेरिया), मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई–मेल व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
6. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर